संख्या– 1410 /9–1–16–473सा/12

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनु0–1 लखनऊः दिनॉक 28 जुलाई, 2016

विषयः– नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों में कार्यरत केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों के वाहन भत्ता की दरों को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5/127–सा/180–वा.भत्ता/13 दिनांक 02.06.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–9264टी./9–1–77–77सा /75 दिनांक 07.10.1997 द्वारा अनुमन्य वाहन भत्ता की दरों को वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के अनुसार वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–जी0–2–408/10–2012–626–2000 दिनांक 16 नवम्बर, 2011 द्वारा सरकारी सेवकों को अनुमन्य वाहन भत्ता के समान नागर स्थानीय निकायों में कार्यरत केन्दीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों जो फील्ड में एवं आवश्यक सेवाओं यथा राजस्व वसूली/पेयजल व्यवस्था सफाई एवं स्वास्थ्य हेतु कार्य करते हो को अगले प्रस्तर–2, 3 व 4 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से निम्नानुसार वाहन भत्ता स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क0सं0	वाहन का नाम	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें (रू0 प्रतिमाह)
1	मोटर साईकिल/स्कूटर	700
2	मोपेड	300
	साईकिल	100

2 उक्त संशोधित भत्ते मात्र उन्हीं पदों/संवर्गो को देय होंगे जिन्हें यह भत्ते वर्तमान में मिल रहे हैं और संशोधन के फलस्वरूप कोई नये पद/संवर्ग इसमें सम्मिलित नही होंगे।

3. वाहन भत्ता उसी स्थिति में देय होगा जब कर्मचारी/अधिकारी अनुमन्य वाहन का स्वामी हो और प्रतिमाह निर्धारित दूरी की यात्रायें निकाय के कार्यो के निमित्त वाहन प्रयोग करता हो। उसके द्वारा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

4 उक्त संशोधन के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित निकाय स्वंय के संसाधनों से वहन करेगें और इसके लिये राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त सहायता संबंधित निकायों को नही दी जायेगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–8–1706/दस/16 दिनांक 25, जुलाई, 1016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त नगर निगम उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उ0प्र0 द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0।
6. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत उ0प्र0 द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल कानें)
अनु सचिव।